Azadi Ka Amrit Mahotsav

।पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE, BIKANER

Ph.No. 0151 - 2204123(O) 2205123 (Fax)
E-mail Address - cvas901@gmail.com

कमांक वीसीबी/लेखा/कय/2022–23/ 390 दिनांकः– 15.10.2022

ई– निविदा सूचना सं0 02 /2022–23

इस महाविद्यालय में एक वर्ष तक की अवधि के लिए सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु DGP, Civil Defence & Home Guard,Rajasthan से मान्यता प्राप्त लाइसेन्सधारकों से डी.एस.सी. के माध्यम से निर्धारित अवधि तक ऑनलाईन बोली डाउनलोड कर अपलोड करने हेतु दोहरी बिड पद्धति (तकनीकी व वित्तीय बिड) से ऑनलाईन ई बोली आंमत्रित की जाती है ।

क्र0सं0	विवरण	अनुमानित लागत	बोली/निविदा शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि	आर.आई.एस.एल की प्रकिया शुल्क
1.	सुरक्षा व्यवस्था कार्य	रू0 25.00 लाख	रू0 400/–	रू0 50,000/–	रू0 1000/–

2	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली प्रपत्र व शर्ते डाउनलोड करने,अपलोड प्रारम्भ/प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	16.10.2022 से 28.10.2022 समय सुबह 11.45 बजे तक
3	बोली प्रतिभूति राशि,निविदा शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क , बैंक हैसियत प्रमाण पत्र एवं रू0 100/– के नॉन ज्यूडिसियल (स्टाम्प पर) शपथ–पत्र देना होगा कि "फर्म/संस्था किसी भी विभाग राजकीय/सार्वजनिक विभाग/उपकम से काली सूची में नहीं है एवं फर्म/संस्था के विरूध कोई राजकीय बकाया नहीं है तथा फर्म/संस्था निविदा की शर्तो का पूर्ण पालन करने हेतु प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय (अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के कार्यालय में जमा करवानी होगी)	28.10.2022 को सुबह 11.45 बजे तक
4.	तकनीकी बोली खुलने की दिनांक व समय	28.10.2022 को दोपहर 12.30 बजे

ऑनलाईन बिडिंग के लिये बोलीदाता के पास सूचना प्रौधोगिक एक्ट (Information technology Act 2000) के अनुसार डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (Digital Signature certificate) होना आवश्यक है। बोली दस्तावेज मय शर्तो के वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे इच्छुक बोलीदाता द्वारा उक्त विवरणानुसार डाउनलोड/अपलोड करवाया जा सकता है। तकनिकी बोली उन्ही बोलीदाताओ की खोली जावेगी जिनके द्वारा दिनांक 28.10.2022 को सुबह 11.45 बजे तक बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क, बैंक हैसियत प्रमाण पत्र , जो कि अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के नाम से तथा आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क रू. 1000/– का डी.डी./बैकर चैक "Managing Director Rajcomp info services ltd."के नाम से जयपुर देय होगी एवं रू0 100/– के नॉन ज्यूडिसियल (स्टाम्प पर) शपथ–पत्र जो इस कार्यालय को प्राप्त होने चाहिये। ई–निविदा आंमत्रण सूचना विवरण स्टेट पोंटल की वेबसाईट http//sppp.raj.nic.in, एवंम विभाग की वेबसाईट www.rajuvas.org पर उपलब्ध है।

अधोस्ताक्षरकर्ता को बोली प्रकिया को या उसके किसी भाग को निरस्त/रद्द करने का अधिकार होगा। तकनिकी बोली खोलने की तिथि को अवकाश हो जाने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी। निविदादाता की तकनिकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) में सफल माने जावेगे, उन्ही की वित्तिय बिड खोली जावेगी। तकनिकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) योग्य नही पाये जाने वाले निविदादाता की वित्तिय बिड नहीं खोली जावेगी। बोली से संबंध में सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के अन्तर्गत सुरक्षित रहेगा।

अधिष्ठाता

COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMALSCIENCE, BIKANER

।पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

Ph.No. 0151 - 2204123(O) 2205123 (Fax)
E-mail Address - Cvas901@gmail.com

सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु ई–निविदा सुचना सं02/2022–23 की

तकनीकी बिड

भाग (अ)

1.	निविदा भरने का प्रकार	ऑनलाईन e- Procurement/e-tendering system http://eproc.rajasthan.gov.in
2.	बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म :– अ. नामः– ब. स्थायी पताः– स. दूरभाष न.:– द. मोबाईल न.:– स. ई. मेल पताः–	
3.	पत्राचार हेतु पूर्ण पता मय पिन कोडः–	
4.	निविदा शुल्क रू0 400/– डी0डी0/बैंकर चैक न0 , दिनांक (Dean,CVAS, Bikaner के नाम देय)	डी.डी./बैंकर चैक न...................................... दिनांक............................ (डी.डी./बैकर चैक की छाया प्रति अपलोड करे)
5.	RISL प्रकिया शुल्क रू0 1000/–	डी0डी0/बैंकर चैक न0 ....दिनांक .... (डी.डी./बैकर चैक

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता

	(M.D., RISL,Jaipur के नाम देय)	की छाया प्रति अपलोड करे)
6.	बोली प्रतिभूति रू0 50,000/–	डी.डी./बैंकर चैक न.................................... दिनांक........................... (डी.डी./बैंकर चैक की छाया प्रति अपलोड करे)
7.	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली प्रपत्र व शर्ते डाउनलोड करने व अपलोड प्रारम्भ/प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	16.10.2022 से 28.10.2022 को सुबह 11.45 बजे तक
8.	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा (तकनिकी एवं वित्तिय) अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	28.10.2022 को सुबह 11.45 बजे तक
9.	तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक/समय	28.10.2022 को दोपहर 12.30 बजे
10.	निविदा डाउनलोड करने की साईट	http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.nic.in, www.rajuvas.org.in
11.	निविदा अपलोड करने की साईट	http://eproc.rajasthan.gov.in
12.	दी प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन)नियम 2005 के अन्तगर्त निम्न से जारी लाईसेन्स की प्रमाणित छाया प्रति जो 31 मार्च 2023 तक मान्य हो:– D.G.P, Civil Defence and Home Guard, RPA/IGP(Security), Rajasthan, Jaipur	अपलोड करें
13.	श्रम विभाग से जारी लाईसंस की प्रमाणित छाया प्रति	अपलोड करें
14.	भविष्य निधि विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति	अपलोड करें
15.	ई0एस0आई0 विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति	अपलोड करें
16.	सर्विस टैक्स विभाग/जीएसटी में पंजीकृत	अपलोड करें

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता

Pramod.

	होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति	
17.	आयकर पैन न. व अधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति	अपलोड करें
18.	सुरक्षा व्यवस्था कार्य का वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक में किसी एक वित्तिय वर्ष का कम से कम एक वर्ष का संन्तोषजनक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र	अपलोड करें
19.	पिछले तीन वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर जो प्रतिवर्ष 10.00 लाख से कम न हो एवं पंजीकृत चारटेड अकाउन्टेन्ट से जारी व हस्ताक्षरित हो ।	अपलोड करें
20.	रू0. 10.00 लाख की बैंक सोलवेन्सी जो बैंक से जारी व प्रमाणित हो	अपलोड करें
21.	निविदादाता को रू0 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा कि फर्म/संस्था किसी भी विभाग राजकीय/सार्वजनिक विभाग/उपकम से काली सूची में नहीं है एंव फर्म /संस्था के विरूद्व कोई राजकीय बकाया नहीं है तथा फर्म/संस्था निविदा की शर्तों की पूर्ण पालना करेगी । फर्म द्वारा नियमों व शर्तों के उल्लघन पर फर्म नियमानुसार पेनल्टी की भागी होगी ।	इस बाबत सौ रूपये कि स्टाम्प पर शपथ–पत्र अपलोड करे ।
22.	सुरक्षा अनुबंध हेतु ई–निविदा सूचना सं. 02/2022–23 की शर्तो प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व मोहर सहित एवं **Annexure A,B,C and D, Form of Bid Securing Declaration**	अपलोड करें

नोटः–

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति, **RISL** प्रकिया शुल्क, का डी.डी./बैंकर चैक, फर्म/संस्था किसी भी विभाग राजकीय/सार्वजनिक विभाग/उपकम से काली सूची में नहीं है एंव फर्म /संस्था के विरूद्व कोई राजकीय बकाया नहीं है तथा फर्म/संस्था निविदा की शर्तों की पूर्ण पालना करेगी । फर्म द्वारा नियमों व शर्तों के उल्लघन पर फर्म नियमानुसार पेनल्टी की भागी होगी । इस बाबत सौ रूपये कि स्टाम्प पर शपथ–पत्र नोटरी करवाकर एवं रू. 10.00 लाख के " बैंक हैसियत प्रमाण पत्र " (Certified copy of Bank Solvency) जो अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के नाम उस बैंक द्वारा जारी की गई हो जिसमे निविदादाता का खाता है निर्धारित निविदा की अन्तिम तिथि व समय तक अधोहस्ताक्षर कार्यालय में जमा/प्राप्त हो जाने चाहिए अन्यथा निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी ।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता

2. **RISL** प्रकिया शुल्क की डी0डी0 **"Managing Director Rajcomp info Services Ltd."** के नाम से जयपुर देय होगी तथा निविदा शुल्क की डी0डी0/ बैकर चैक अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के नाम से देय होनी चाहिये।

3. कम सख्या 4,5,6,12 से 22 तक की पात्रता पूरी करने वाले योग्य निविदादाता ही तकनिकी बिड (प्रि-क्वालीफिकेशन) भाग "अ" में सफल माने जावेगी उन्ही की वित्तिय बिड खोली जावेगी। तकनिकी बिड (प्रि-क्वालीफिकेशन) में योग्य नही पाये जाने वाले निविदादाता की वित्तिय बिड नही खोली जावेगी।

मै/हम पशु चिकित्सा एंव पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा जारी की गई ई-निविदा सूचना सं0 02 में वर्णित तथा सलंग्न निविदा शर्तो की पालना करने हेतु सहमत है ।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता
Pramod.

।पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMALSCIENCE, BIKANER

Ph.No. 0151 - 2204123(O) 2205123 (Fax)
E-mail Address - Cvas901@gmail.com

सुरक्षा अनुबंध हेतु ई–निविदा सूचना सं.02/2022–23 की शर्तें

(बिडदाताओं से अनुरोध है कि बिड प्रस्तुत करने से पूर्व बिड के समस्त नियम, शर्तो व निविदा प्रपत्रों का पूर्ण अध्ययन कर लें)

1. सुरक्षा कार्य हेतु दर अनुबंध, अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा जिसे कार्य सन्तोषजनक की स्थिति में आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकता है।
2. निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति तथा ई निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतः निरस्त कर दी जावेगी।
3. **A.** निविदादाताओं को D.G.P, Civil Defence and Home Guard, गृह रक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर से जारी लाइसेन्सधारक होना आवश्यक है। पूर्व लाइसेंस धारक जिन्हे RPA /IGP (Security), राज्य सरकार से लाइसेन्स प्राप्त सहित समस्त लाइसेन्सधारकों के लाइसेन्स की मान्यता अवधि 31 अक्टूबर 2023 तक मान्य होनी चाहियें।
   B. उक्त लाइसेन्स की प्रमाणित फोटोप्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करनी होगी।
4. निविदादाता को रू. 10.00 लाख के " बैंक हैसियत प्रमाण पत्र " (Certified copy of Bank Solvency) भी प्रस्तुत करनी होगी जो अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के नाम उस बैंक द्वारा जारी की गई हो जिसमे निविदादाता का खाता है।
5. निविदादाता का पिछले तीन वर्षों का **Turnover** प्रति वर्ष रू 10.00 लाख से कम नहीं होना चाहिये। इसके लिये निविदादाता तकनीकी बिड के साथ अपने पिछले तीन साल के Turnover प्रमाण संलग्न करेगा जो मान्यता प्राप्त Chartered Accountant द्वारा जारी व हस्ताक्षरित हों।
6. निविदादाता का राज्य कर विभाग/जी.एस.टी., पी.एफ. एवं ई.एस. आई. विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा के साथ इसके प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। निर्णायक स्थिति में इन प्रमाणों की मूल प्रतियों से प्रमाणीकरण किया जाएगा।
7. निविदादाताओं को किसी राजकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/राजकीय संस्था/राजकीय बोर्ड/शिक्षा बोर्ड या समकक्ष शैक्षणिक/प्रशासनिक संस्थाओं में इसी प्रकार

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता
Pramod

की सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने का वर्ष 2019–2020 से 2021–22 तक में किसी एक वितिय वर्ष का कम से कम एक वर्ष का संन्तोषजनक कार्य का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

8. निविदादाता द्वारा आधार कार्ड व आयकर विभाग से जारी पैन (PAN) कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

9. प्रत्येक सुरक्षा पोइन्ट (स्थान) पर सुरक्षा प्रहरीयों को पूरे दिन (24 घण्टे) उपस्थित रहना आवश्यक होगा। सुरक्षा पोइन्ट (स्थान) संबंधित विभाग व सुरक्षा अधिकारी द्वारा तय किये जावेगें व सुरक्षा प्रहरी को उन्ही के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

10. सुरक्षा प्रहरी कार्य एक दिवस में 3 पारियों में होगा। प्रत्येक पारी 8 घण्टे की होगी।

11. एक सुरक्षा प्रहरी से 8 घण्टे से अधिक कार्य नही लिया जावेगा।

12. सुरक्षा प्रहरीयों के लिए आवास की व्यवस्था विश्वविधालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी जावेगी ।

13. महाविधालय के छात्रा छात्रावास में एवं अन्य स्थान पर आवश्यकता होने पर महिला सुरक्षा प्रहरी लगाना आवश्यक है ।

14. सुरक्षा प्रहरियों का समय समय पर भौत्तिक निरिक्षण विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी द्वारा किया जावेगा ।

15. निविदायें (तकनीकी व वित्तीय दोनों ही बिड) e-proc.(ई–प्रौक्योरमेंट) पोर्टल से डाउनलोड कर इसी पोर्टल पर अपलोड की जानी है।

16. भौतिक रूप से प्रस्तुत की गयी बिड स्वीकार्य नहीं होगी। बिड e-proc साइट पर उपलब्ध बिड शीट में ही अपलोड करनी होगी।

17. विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.rajuvas.org) एवं SPPP Portal (http://sppp.raj.nic.in) पर निविदा मात्र अवलोकनार्थ अपलोड की गयी है। निविदादाता द्वारा इन वेबसाइट पर निविदा अपलोड नहीं की जाएगी। निविदा सिर्फ e-proc portal (**www.eproc.rajasthan.gov.in**) में ही अपलोड करनी है।

18. निविदा (तकनीकी बिड़) के साथ निविदा शुल्क रू0. 400/– की डी.डी./बैकर चैक व बोली प्रतिभूति (Bid Security) रू0 50,000/–अधिष्ठाता ,पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के नाम से प्रस्तुत करना होगा। साथ ही Rs. 1000 /- का डिमाण्ड ड्राफ्ट M.D., RISL, Jaipur के नाम बिड़ प्रोसेसिंग फी के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

19. तकनीकी एवं वित्तीय बिड के साथ प्रस्तुत निविदा/शर्तो का नियम आदि सहित समस्त प्रमाण व संलग्नक स्वप्रमाणित (Self attested) होने चाहिये जिसमें हस्ताक्षर के साथ – साथ फर्म की मोहर (Stamp) लगी होनी चाहिए।

20. निविदादाता को तकनीकी बिड के साथ निम्नानुसार अपने बैंक का विवरण भी देना होगा :–

1 बैंक व शाखा का पूर्ण नाम व पता :–
2 बैंक खाता संख्या :–
3 बैंक का IFSC कोड नम्बर :–
4 बैंक खाते का प्रकार (सेविंग/करंट) :–

21. निविदादाता को रू0 100/– के नॉन ज्यूडिसियल (स्टाम्प पर) शपथ–पत्र देना होगा कि "फर्म/संस्था किसी भी विभाग राजकीय/सार्वजनिक विभाग/उपकम से काली सूची में नहीं है एवं फर्म/संस्था के विरूध कोई राजकीय बकाया नहीं है तथा फर्म/संस्था निविदा की

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता
Pramod.

शर्तो का पूर्ण पालन करेगी। फर्म द्वारा नियमों व शर्तो के उल्लघंन पर फर्म नियमानुसार पेनल्टी की भागी होगी ।

22. निविदादाता वित्तीय बिड में समस्त प्रकार के देय लाभ जैसे PF/ESI/GST आदि या अन्य व्यय को सम्मिलित कर दरें प्रस्तुत करेगा।

23. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा सुरक्षा प्रहरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अनुंबध की अवधि में श्रम कानून की पूर्णतः पालना हो।

24. सुरक्षा प्रहरियों हेतु सेवा प्रदाता से अनुबंध होने के पश्चात भी सुरक्षा प्रहरियों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

25. उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं हेतु रखे गये सुरक्षा प्रहरियों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार या इनके अधीनस्थ विभागों की पी.एफ., ई.एस.आई. या अन्य कोई राशि देय होती है तो उसका भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही किया जाएगा एवं जीएसटी संबधित विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी। गत भुगतान के दस्तावेज आगामी भुगतान से पूर्व संबंधित सुरक्षा प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करने होगें।

26. सेवा प्रदाता के सुरक्षा कार्य हेतु प्रस्तुत प्रथम बिल भुगतान को महाविद्यालय द्वारा "रिस्क कवरेज" के रूप में जमा किया जावेगा। इस राशि का भुगतान बिना ब्याज सन्तोषजनक सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात किया जावेगा।

27. सेवा प्रदाता सेवाओं को किसी अन्य को हस्तान्तरित या सबलेट नहीं कर सकेगा अन्यथा उसके अनुबंध को निरस्त कर निविदा सुरक्षा राशि व रिस्क कवरेज जब्त कर ली जावेगी।

28. सुरक्षा प्रहरी को समय समय पर केन्द्र/राज्य सरकार आदि के अन्तर्गत देय न्यूनतम पारिश्रमिक/वेजज, सवैतनिक अवकाश एंव अन्य वैधानिक भुगतान की समस्त जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता की ही होगी व महाविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकता है। जो उपलब्ध कराने होगें।

29. सेवा प्रदाता द्वारा समय पर सुरक्षा प्रहरी की उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति की वसूली प्रति शिफ्ट राशि का 110 प्रतिशत के आधार पर कार्यालय द्वारा मासिक बिल से वसूल की जावेगी।

30. जॉब कार्य हेतु अनुमोदित राशि का भुगतान सेवा प्रदाता को ही किया जावेगा। सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षा प्रहरी इस कार्यालय से किसी भी प्रकार के भुगतान दावा मांगने के अधिकारी नहीं होंगे। इन्हे किसी भी प्रकार के समस्त दावे या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही देय होंगे।

31. निविदादाता द्वारा महाविद्यालय में अपना एक सुपरवाईजर लगाना होगा, जो कि नियमित रूप से सुरक्षा प्रहरी की उपस्थित का रिकार्ड रखेगा तथा प्रतिदिन कार्य निरीक्षण करने के उपरान्त समय–समय पर संबंधित सुरक्षा प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सुपरवाईजर का खर्चा निविदा दाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता
Pramod.

32. सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा प्रहरी को मौसमानुसार (गर्मी व सर्दी के अनुरूप) निंधारित गणवेश, कैप, टॉर्च, लाठी व अन्य सभी प्रकार का सामान सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। इसके लिये सेवादाता को काई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

33. किसी भी सुरक्षा प्रहरी के कार्य छोड़ने की स्थिति में भी सेवा प्रदाता को तुरन्त दूसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना होगा।

34. सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से लगाये गये सुरक्षा कर्मी को आवश्यकतानुसार महाविद्यालय परिसर के किसी भी सुरक्षा पाइन्ट पर लगाया जा सकता है।

35. सुरक्षा कार्य हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा कार्य हेतु नियुक्त प्रहरी की आयु 21 से 60 वर्ष तक हो।

36. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरियों का स्वस्थ होना आवश्यक है। सुरक्षा मापदण्डों के सन्दर्भ में स्वास्थ विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संबधित सुरक्षा प्रभारी को प्रस्तुत कराना होगा । उक्त प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति की ही सेवा सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा सुरक्षा प्रहरी के रूप में सेवायें उपलब्ध करवायी जावेगी।

37. उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरी के किसी गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी कार्य (जैसे चोरी, अश्लीलता, नशा, जुआ आदि) में लिप्त पाये जाने पर उस सुरक्षा कर्मी की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाय ऐजेन्सी की होगी। ऐसे सुरक्षा प्रहरी के विरूद्ध की गयी किसी प्रकार की कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान भी सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा ही देय होगा।

38. सेवा प्रदाता एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा प्रहरी हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे व्यक्ति का चाल–चलन व चरित्र अच्छा हो।

39. अनुमोदित सेवा प्रदाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे सुरक्षा प्रहरियों की सूची प्रभारी सुरक्षा व्यवस्था ,सी.वी.ए.एस., बीकानेर को उपलब्ध करवानी होगी जिसमें निम्न प्ररूपानुसार पूर्ण जानकारी देनी होगी :–

क्र. सं	सुरक्षा प्रहरी का नाम	पूर्ण पता	मोबाइल / दूरभाष नं.	आधार कार्ड नं.	बैंक का नाम व ब्रान्च	खाता संख्या	नवीनतम फोटो
	2	3	4	5	6	7	8

40. सभी सुरक्षा प्रहरियों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। किसी सुरक्षा प्रहरी के अनुपस्थित रहने या उसका कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा प्रदाता द्वारा उसके स्थान पर यथाशीघ्र दूसरे सुरक्षा प्रहरी को लगाना होगा।

41. सेवा प्रदाता एजेन्सी को प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को "परिचय पत्र" आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा जिसमें सुरक्षा कर्मी की नवीनतम फोटो, नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर व आधार नम्बर एवं परिचय पत्र जारी करने की तीरीख मय मोहर अंकित करवाकर, जिसको महाविधालय के सुरक्षा प्रभारी द्वारा प्रमाणित करावाना आवश्यक होगा ।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता
Pramod.

42. कार्यादेशों के अनुबंध की शर्तों को भंग करने या संविदा के संतोषजनक ढ़ग से पूरा न करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्ण या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

43. निविदादाता को जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा पोइन्ट की चौबीस घण्टे के लिये प्रतिमाह की दर का अंकन BOQ में करना होगा ,जिसमें मजदूरी, पी.एफ.,ई.एस.आई.,जी.एस.टी व सर्विस चार्ज, अन्य समस्त प्रकार के टैक्स इत्यादि सम्मिलित होने चाहिये। जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा पोईन्ट निम्न प्रकार से है :–

S.No.	Security area	No. of minimum security point (approx,) for 24 hours
1	2	3
1.	College Dairy Campus complete including LRS, RKVY Rathi Cattle Project, Feed & Fodder stores, Cows sheds etc. and adjoining.	01
2.	Department of ABG, LPT, LPM, Obst. & Gynae . Clinic, COE, Pool office and adjoining areas.	01
3.	Department of Public Health , Surgery & Radiology , Obst& Gynae . , Vet. Medicine, Clinics, Extension ,Incinerator room , and adjoining areas.	01
4.	Department of Parasiotology, Biochemistry, Mohan Singh Lecture Theatre, Biochemistry, Pharmacology, Physiology ADM Office i.e V.C. Secreteariat ,Comptoller Office, Registrar Office, Treasury Office, IUMS , DEE office, Dean PGS office, DPME, college cash section & central store, Library, Library lecture Theatre & Vijay Bhawan Building, Workshop, Games & Sports , Gymnasium , Director Work, Eng. Technology centre and adjoining areas.	01
5	University Main Gate, Tennis Grounds, DSW,PRC, Landscape, national Flag, University Flag Guest House, faculty House, Department of Pathology, B- Bock Quarters, Tube well, Gardens and adjoining areasand adjoining area.	01
6.	Vice- Chancellor Residance	01
7	Department of Microbiology , Apex centre , Central Air conditioner chiller plants, Generators, Auditorium and adjoining areas and College Main college main gate, flag Hosting ground & gardens and adjoining areas.	01
8.	Poultry Farm campus complete and adjoining areas.	01
9.	Girls Hostel Main gate , Girls Hostel, ADSW office, Department of Anatomy campus , Married Boys Hostel and adjoining areas, Girls Hostels & Back side areas.	01
10.	Department of Animal Nutrition, and Dean Office, Feed	01

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता
Pramod.

	resource management centre, Museum, Hydroponics machine and adjoining areas.	
11.	PG-I, PG-II, UG-II Hostels ,Intern Hostel, Hostel Ground and adjoining areas.	01
12.	UG-1, Hostel Ground and adjoining areas.	01
Total		12

44. उक्त सुरक्षा एरिया में किसी भी प्रकार की चोरी हुए सामान/नुकसान की भरपाई अनुमोदित ठेकेदार को करनी होगी । चोरी हुए सामान/नुकसान की किमत कमेटी द्वारा तय की जावेगी, जिसकी किमत अनुमोदित ठेकेदार से वसूल की जावेगी ।
45. निविदा सूचना में वर्णित विवरण व RTPP ACT & Rule अनुसार पात्रता पूरी करने वाले योग्य बोलीदाता ही तकनीकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) में सफल माने जाएँगे तथा उन्ही की वित्तीय बिड खोली जाएगी। तकनीकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) में योग्य नही पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बिड नही खोली जावेगी।
46. सफल बोली दाता को नियमानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर सम्पूर्ण कार्य के एक वर्ष की राशि का **2.5%** कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि (**Bid Performance Security**) के रूप में जमा करानी होगी तथा नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाप पर अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।
47. सफल बोली दाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि व अनुबंध पत्र निंधारित समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी ।
48. सफल बोलीदाता से अनुबंध करने से पूर्व उनके मूल लाइसेन्स का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन (Verification) किया जाएगा।
49. सफल सेवाप्रदाता को अनुबंध के साथ महाविद्यालय में एक अंडरटेकिंग (100 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टेंप पेपर पर) अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी कि सुरक्षा प्रहरी को नियमानुसार राशि सीधे सुरक्षा प्रहरी के बैंक खातें में जमा करवाकर कार्य बिल प्रतिमाह प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
50. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियॉ टी.डी.एस., जी.एस.टी. व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जाएगी।
51. केन्द्र/राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ विभाग न्यूनतम दरो में कमी/वृद्धि करते हैं या अन्य कोई कर/कटौती लागू करतें हैं तों अनुमोदित एजेन्सी उसी अनुरूप स्वयं कार्यवाही/लागू करेगी। इसमें कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
52. उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरियों के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रतिलिपि सुरक्षा प्रभारी को उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
53. सुरक्षा प्रहरी कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का सेवा प्रदाता एजेन्सी को उनका प्रमुख नियोक्ता (Principal employer) माना जावेगा। किसी भी प्रकार के सामान्य या न्यायिक विवाद के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता
Pramod.

54. अनुबंधित सेवा प्रदाता द्वारा सन्तोषजनक सेवाएँ प्रदान न करवाने या सेवा प्रदान करवाने में असफल रहने की स्थिति में उनकी सेवायें निरस्त करते हुये कार्यसम्पादन राशि व रिस्क कवरेज राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त करते हुये निविदादाता की रिस्क व कास्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता फर्म या अन्य एजेन्सी से सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाय एजेन्सी की होगी।

55. सेवा प्रदाता कार्य आदेश जारी होने पर जिस तिथि से सुरक्षा कार्य करवाया जाना है । उस तिथि से सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर लगाने आवश्यक होंगें अन्यथा प्रति दिवस प्रति पोईन्ट 1000/- जुर्माना किया जावेगा, जो सेवा प्रदाता के बिलों या कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से वसूल किया जावेगा।

56. सेवा प्रदाता को प्रदाय की गई सेवा का भुगतान संबधित सुरक्षा क्षैत्र के इंन्चार्ज/विभागाध्यक्ष/मुख्य छात्रावास अधीक्षक इत्यादि के भौतिक सत्यापन एवं बिल प्रमाणीकरण उपरान्त देय होगा जिसमें संबंधित उपरोक्त अधिकारी की सिफारिश पर या नियमानुसार कोई कटौति बनती है तो यह कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

57. महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय बिना परिचय पत्र या बिना निंधारित गणवेश के कार्यरत सुरक्षा प्रहरी पर रू 100/- प्रति सुरक्षा कर्मी, प्रति दिन दण्डात्मक रूप में सेवा प्रदाता से वसूल किये जावेंगें।

58. किसी सुरक्षा प्रहरी के कार्य स्थल पर अनुपस्थित रहने या सोते हुये पाये जाने पर प्रति सुरक्षा प्रहरी, प्रति पारी (8 घंटे)न्यूनतम रू 1000/- दण्ड के रूप में सेवा प्रदाता से वसूल किये जावेंगें।

59. महाविद्यालय द्वारा अनुबंध बिना किसी कारण बताये भी निरस्त किया जा सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी।

60. सेवा प्रदाता द्वारा दी जा रही सेवाओं का बिल प्रत्येक माह की 1 तारीख को संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में होगा।

61. निविदाता द्वारा प्रस्तुत शर्ते/सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

62. समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने कि स्थिति में बीकानेर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी,अन्य न्यायालय पर नहीं।

63. सेवा अनुबंध अवधि में किसी प्रकार के विधि वाद की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

64. अपील अधिकारी

1. प्रथम अपील अधिकारी :- कुलसचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. द्वितीय अपील अधिकारी :- माननीय कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता
Pramod

65. निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी बिड के साथ समस्त चाहे गये प्रमाण पत्र व शुल्कों के प्रमाण अपलोड कर दिये गये हैं।

66. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण निविदा प्रकाशन के 7 दिवस में किसी भी कार्य दिवस व कार्यालय समय पर अधेहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

67. (A) निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदा संबंधी समस्त नियमों/शर्तों व निविदा प्रपत्रों को पूर्ण अध्ययन कर लें।

(B) निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व निविदादाता समस्त निविदा प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर व फर्म की मोहर अंकित करेंगा।

68. उपरोक्त उल्लेखित शर्तों के अलावा सेवा प्रदाता पर RTPP Rule – 2013 व RTPP Act- 2012 के अनुरूप सभी नियम, धाराएँ/उपधाराएँ लागू होंगी।

69. माननीय कुलपति/निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निविदा या निविदा के किसी भी भाग को स्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय रबड मोहर

अधिष्ठाता
Pramod

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to Impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
   a. have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process.

Pramod.

Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Pramod.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………… for procurement of ………………………………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated………….. I/we ………………………………… …………………………………………………………hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Pramod.

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is
The Registrar,RAJUVAS, Bikaner
The designation and address of the Second Appellate Authority is
The Hon'ble Vice- Chancellor,RAJUVAS, Bikaner

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:
Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

Pramod

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of The Comptroller, RAJUVAS, Bikaner .

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Pramod.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Pramod

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance

Pramod.

supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. How- ever, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Pramod.

(on NJS Rs. 100/- dully attested by Notary)

शपथ पत्र

मै / हम...निवासी.........................
....फर्म मैसर्स ....
.... के प्रोपराईटर / पार्टनर है, जो कि शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:–

1. यह है कि मै / हम उक्त पत्ते के मूल निवासी है ।
2. मेरी / हमारी फर्म / संस्था किसी भी विभाग राजकीय / सार्वजनिक विभाग / उपकम से काली सूची में नहीं है ।
3. मेरी / हमारी फर्म के विरूद्व कोई राजकीय बकाया नहीं है तथा मेरी फर्म / संस्था निविदा की शर्तो का पूर्णतया पालन करेगी ।
4. मेरी / हमारी फर्म द्वारा नियमों व शर्तो के उल्लघंन करने पर मेरी / हमारी फर्म पेनल्टी की भागी होगी ।

दिनांक:–

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Pramod.

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--

Name :--

In the capacity of :-----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ---------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

Pramod